


04.10.23 पत्रावली पेश । वकील प्रार्थी उप.।
वकील प्रार्थी द्वारा वाद पत्र को नोट प्रेस किये
जाने के बाद इस प्रार्थन पत्र का कोई औचित्य
नहीं रह जाता है। वकील प्रार्थी द्वारा इस
प्रार्थन पत्र को नोट प्रेस करते हुए खारिज
किये जाने का निर्देश किया। जिसको स्वीकार
करके पत्रावली को नोट प्रेस के आधार पर रसीद
स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद
तरतीब तकनीक होकर प्रारिक्त स्फुल है।

निर्णय लिखाया जाकर सुले न्यायालय में
सुनाया गया।


(अनमिता बिशनोई)
R.A.So

Note
cross
by
me
R.A.So